विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L00-49/17

मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड,
सुरजन वासा,
उज्जैन (म0प्र0)

विरूद्ध

कार्यपालन यंत्री (संचा./संधा.) संभाग, — **अनावेदक**
म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
उज्जैन (म0प्र0)

आदेश

(दिनांक 18.10.2019 को पारित)

01. मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड, सुरजन वासा, उज्जैन (म0प्र0) द्वारा विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इंदौर एवं उज्जैन क्षेत्र द्वारा जारी प्रकरण क्रमांक W0393317 में पारित आदेश दिनांक 20.01.2018 से असंतुष्ट होकर अपील अभ्यावेदन दिनांक – निरंक सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया है ।

02. आवेदक मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड ने श्री बी.आर. कपूर द्वारा एक लिखित अपीलीय अभ्यावेदन दिनांक – निरंक विद्युत लोकपाल के समक्ष प्रस्तुत की है । जो विद्युत लोकपाल कार्यालय में 21.02.2018 को प्राप्त हुई तथा जिसे एल00–49/2017 पर दर्ज किया गया ।

03. आवेदक द्वारा प्रस्तुत अपीलीय अभ्यावेदन के अनुसार प्रकरण के विवरण निम्नानुसार है :–

विषय वस्तु :– Chairman CGRF has given decision without hearing the consumer one sided in absence of Consumer.

(1) Meter tested in absence of Consumer while as per rule no. 8.18 of supply code.
(2) MD in Meter is showing 8.7 kW but deliberately billing on 18.5 KW.
(3) Chairman CGRF has given decision one sided in absence of Consumer.
(4) Date for hearing was given on 16 January 2018 But post postponed to 17 January 2018 without informing the Consumer and decision given on 21 January 2018.

चाही गई राहत का स्वरूप

CGRF should hearing after replacement meter is showing 8.7 kW and Billing should be done on 8.7 kW.

04. अभ्यावेदन प्राप्त होने के बाद इसकी प्रारंभिक सुनवाई दिनांक 20.03.2018 को नियत करते हुए आवेदक एवं अनावदेक कार्यपालन यंत्री (संचा./संधा.) म0प्र0प0क्षे0वि0वि0क0लिमिटेड, उज्जैन को दिनांक 08.03.2018 को सूचना पत्र प्रेषित किया गया । दिनांक 20.03.2018 की सुनवाई में आवेदक की ओर से श्री विभूति विक्रम सिंह, इंजीनियर उपस्थित हुए तथा अनावेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ, अतः सुनवाई दिनांक 07.05.2018 को नियत की गई । तत्कालीन समय नियमित विद्युत लोकपाल की नियुक्ति न होने के कारण प्रभारी विद्युत लोकपाल द्वारा नियमित विद्युत लोकपाल की पदस्थापना की प्रत्याशा में प्रकरण में सुनवाई न की जाकर सुनवाई आगे बढ़ाई जाती रही । अन्ततः माह अप्रैल 2019 में नियमित विद्युत लोकपाल के पदग्रहण करने के पश्चात प्रकरण की सुनवाई दिनांक 26.04.2019 को नियत थी । चूंकि इस दिनांक को समस्त लंबित प्रकरण की सुनवाई एक ही दिन नियत की गई थी जो कि व्यावहारिक दृष्टि से संभव नहीं था, अतः सभी प्रकरणों की सुनवाई पुनः ही पुनर्निर्धारित (Re-schedule) की गई और प्रश्नाधीन प्रकरण में सुनवाई की दिनांक 01.06.2019 नियत की जाकर दोनों पक्षों को तद्नुसार नोटिस जारी किए गए तथा अगली सुनवाई दिनांक 21.06.2019 को नियत की गई तद्नुपरांत अगली सुनवाई दिनांक 08.07.2019 को नियत की गई । सुनवाई दिनांक 08.07.2019 को भी उभयपक्षों में से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ । अगली सुनवाई दिनांक 23.07.2019 नियत की गई । दिनांक 23.07.2019 की सुनवाई में आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ तथा अनावेदक की ओर से श्री अभिषेक

कुमार गुप्ता, जूनियर इंजीनियर एवं श्री अशोक जाटवा, कार्यालय सहायक श्रेणी – प्रथम, (संचा./संधा.) संभाग, उज्जैन उपस्थित ।

05. अनावेदक प्रतिनिधि का कथन है कि प्रकरण में उनकी ओर से आवश्यक प्रत्युत्तर कार्यपालन यंत्री (सं/सं) संभाग, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लिमि., उज्जैन का पत्र क्रमांक कायं/संसं/विधि/18/1928 दिनांक 15.06.2019 से तैयार कर माननीय विद्युत लोकपाल कार्यालय को डाक द्वारा पूर्व में ही भेज दिया गया है, जिसकी एक छायाप्रति आज प्रस्तुत की जा रही है । अनावेदक प्रतिनिधि ने कथन किया कि उपभोक्ता द्वारा अपने परिसर में स्वीकृत संयोजित भार से अधिक संयोजित भार का उपयोग करते हुए पाया गया जो कि उपभोक्ता के परिसर में लगे मीटर में अधिकतम दर्ज हो रहा है । चूंकि उपभोक्ता द्वारा स्वीकृत भार से अधिक भार का उपयोग कर अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन किया गया है, इसलिए विद्युत अधिनियम की धारा 126 के अन्तर्गत प्रकरण बनाया जाकर उपयोग किए जाने वाले भार के अतिरिक्त भार स्वीकृत किए जाने के अनुसार सप्लाई अफोर्डिंग चार्जेज की राशि की बिलिंग की गई है जो कि सही है । आवेदक उपभोक्ता का मीटर बदल दिया गया है एवं नए मीटर में भी अधिकतम मांग स्वीकृत भार से अधिक दर्ज हो रही है, इसको दृष्टिगत रखते हुए अनावेदक द्वारा की गई बिलिंग सही है । अनावेदक का आगे कथन है कि आवेदक उपभोक्ता द्वारा बिल की गई राशि का भुगतान नहीं किया गया है, अतः आवेदक को इसके भुगतान हेतु निर्देशित किया जाए ।

06. आवेदक की अनुपस्थिति के कारण सुनवाई दिनांक 06.08.2019 को आगे बढ़ाई गई । इसके बाद दिनांक 06.08.2019, दिनांक 27.08.2019 और दिनांक 27.09.2019 की सुनवाई में भी उभयपक्षों की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ । प्रकरण में आवेदक को उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु पर्याप्त अवसर दिए गए, किन्तु अप्रैल 2019 से सितम्बर 2019 तक आयोजित की गई 7 सुनवाईयों में से आवेदक एक बार भी उपस्थित नहीं हुआ ।

07. आवेदक की अनुपस्थिति से उनका पक्ष नहीं सुना जा सका । स्पष्टतः आवेदक प्रकरण में उनके द्वारा दायर अपीलीय प्रकरण में किसी भी निर्णय का इच्छुक प्रतीत नहीं होता, ऐसी स्थिति में आवेदक की लगातार अनुपस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक की अपील खारिज की जाकर प्रकरण समाप्त किया जाता है ।

08. उभय पक्ष प्रकरण में हुए अपने–अपने व्यय को स्वयं वहन करेंगे । आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो । आदेश की निःशुल्क प्रति के साथ पक्षकारों को अलग से सूचित किया जाए ।

विद्युत लोकपाल